

# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- देवेन्द्र कुमार  
आई0ए0एस0



प्रार्थना पत्र सं0 103/2023

मोतीलाल ओसवाल होम फाईनेन्स लि0 (पूर्व में एस्पायर होम फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात) पंजीकृत कार्यालय मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, अपोजिट परेल एसटी डिपो, प्रभा देवी मुम्बई-400025 एवं शाखा कार्यालय 401-402, चतुर्थ तल, के.जे. सिटी टॉवर, प्लॉट नंबर ई-2, अशोक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर-302001 राजस्थान जरिये जरिये प्राधिकृत अधिकारी धीरेन्द्र रत्नावत  
...प्रार्थी

बनाम

1. श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर, (ऋणी व बंधककर्ता )  
पता-ग्राम बिशनपुरा, आदिलबाद महाराष्ट्र-504272

अन्य पता-वाटर वर्क्स कॉन्ट्रेक्टर, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेन्ट, बाण गंगा, दौसा  
राजस्थान-303507

अन्य पता- खसरा नंबर 278, ग्राम बिशनपुरा ग्राम पंचायत जिला दौसा नियर टैम्पल, जयपुर  
राजस्थान-303507

2. लाडा देवी (सह ऋणी)  
पता-ग्राम बिशनपुरा, आदिलबाद महाराष्ट्र-504272

.....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002

उपस्थित : श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 28.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मोतीलाल ओसवाल होम फाईनेन्स लि0 (पूर्व में एस्पायर होम फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात) ने अप्रार्थी/ऋणी को 8,80,817/- (रूपये आठ लाख अस्सी हजार आठ सौ सत्रह मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया था। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी मोतीलाल ओसवाल होम फाईनेन्स लि0 (पूर्व में एस्पायर होम फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात) को सुना गया। हमने प्रार्थी मोतीलाल ओसवाल होम फाईनेन्स लि0 (पूर्व में एस्पायर होम फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी मोतीलाल ओसवाल होम फाईनेन्स लि0 (पूर्व में एस्पायर होम फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात) को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई जगदीश प्रसाद गुर्जर पुत्र बदरी की अचल संपत्ति खसरा नंबर 278 ग्राम बिशनपुरा तहसील एवं जिला दौसा में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी मोतीलाल ओसवाल होम फाईनेन्स लि0 (पूर्व में एस्पायर होम फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात) को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया



(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा